


बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

:: अधिसूचना ::

संख्या-6 एस०एस०(11)01/2016-3892 /पटना-15, दिनांक- 05/12/2017.


बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-699, दिनांक-29 अगस्त 2016 द्वारा अधिसूचित बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित अधिनियम के नियम-50(4), (5), (6), (8) में अंकित शर्तों के साथ तथा परिशिष्ट-1(i) एवं (ii) में उल्लेखित शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थान/स्टेशन/सब स्टेशन (सूची परिशिष्ट-1 संलग्न) को "नव गठित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना" के अधीन अंतरित किया जाता है।

2. विश्वविद्यालय के नियंत्रण के अन्तर्गत "पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना एवं केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना" के सभी कार्य यथापूर्वक एक वर्ष तक जारी रखी जायेगी तथा इस अवधि में विभाग/पशुपालन निदेशालय द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय के अधीन अंतरित किये जाने वाले संस्थान में उपलब्ध भूमि का स्वामित्व विभाग के अधीन होगा। अधिनियम की धारा-50(4), (5), (6) एवं (8) के अनुसार
4. राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र पूर्णिया में विभाग द्वारा विकासात्मक कार्य यथा फ्रोजेन सिमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन की स्थापना की जा रही है। इस हेतु इस संस्थान में उपलब्ध भूमि का उपयोग विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय से संबद्ध होने वाले शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान, स्टेशन, सब-स्टेशन में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने के पूर्व विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
7. प्रस्ताव एवं आदेश प्रारूप में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(डा० एन० विजयलक्ष्मी)
सरकार के सचिव


संख्या-6 एस०एस०(11)01/2016-3893 /पटना-15, दिनांक- 05/12/2017.

प्रतिलिपि:-निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ परियोजना पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना/ महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया एवं गोपालगंज/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ एवं पटना/निदेशक, पशुपालन/गव्य/मत्स्य, बिहार, पटना/विभाग के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव


संख्या-6 एस०एस०(11)01/2016-3893 /पटना-15, दिनांक- 05/12/2017.

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधानसभा/विधान परिषद् एवं सभी विश्वविद्यालय के कुलपति/केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति/सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

संख्या-6 एस०एस०(11)01/2016-3893 /पटना-15, दिनांक- 05/12/2017.

प्रतिलिपि:-डा० दिवाकर प्रसाद, सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना प्रसार-सह-नोडल पदाधिकारी, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

शिक्षण संस्थान / शोध संस्थान / स्टेशन / सब स्टेशन की सूची

परिशिष्ट-1

- I. शिक्षण संस्थान।—
 1. बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
 2. संजय गाँधी गव्य प्रावैधिकी संस्थान, पटना।
 3. डा० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के भवन में अवस्थित मात्स्यकी महाविद्यालय, किशनगंज।
- II. शोध संस्थान / स्टेशन / सबस्टेशन।—
 1. पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना।
 2. विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना।
 3. केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना।
 4. राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ।
 5. राजकीय पशु प्रक्षेत्र, गया।
 6. राजकीय भैंस प्रक्षेत्र, सिपाया, गोपालगंज।